इस्तकार

वनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य

आपराधिक अपील सं0–2034 सन् 2022

दिनांक – 11 नवम्बर 2022

(दिनेश महेश्वरी और सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्तिगण)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अध्याय–VIII धारा –107, 117– पंचायत चुनाव में होने वाली व्यवस्था में शांति बनाये रखने हेतू अपीलार्थी के द्वारा धारा– 107 के नियमों के अनुपालन में मो0 5,00,000/– रू0 के बाउण्ड दाखिल किया गया जो जब्त कर लिया गया– अपीलार्थी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज हो गया – अपीलार्थी के द्वारा याचिका दाखिल किया गया जिसने उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि पारित आदेश में कोई अवैधानिक्ता नहीं है–अपील में यह अभिमत व्यक्त किया कि धारा–107 के दायरा और प्रकृति निवारक है न कि दंडात्मक, क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति का कोई उल्लंघन न हो और सार्वजनिक अशांति न हो– किसी भी गलत या अवैध कार्य से परेशान–अध्याय–VIII के प्रावधानों के उद्देश्य को भारी मात्रा में बाउण्ड लगाकर निवारक से दण्डात्मक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता– जिसे कोई व्यक्ति भुगतान करने में असमर्थ हो सकता– वर्तमान मामले में निश्चित रूप से बाउण्ड की शर्तों के उल्लंघन की कथित तिथि पर, चुनाव प्रक्रिया पूर्व में ही पूरी हो चुकी थी– यह मानते हुए कि सार्वजनिक सम्पत्ति का अतिक्रमण करने और सार्वजनिक सम्पत्ति में बाधा डालने के उसके कथित कार्यों के अलावा अधिकारी द्व ारा धारा–186 भा0 दं0 स0 के आलोक में अपीलार्थी के कार्यों से वास्तव में शांति भंग करना पाया गया– जिसमें बाउण्ड में दर्शाई गई पूरी राशि के साथ दंडित किया जाना है– दण्डाधिकारी धारा–117 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत आदेश पारित करते समय बाउण्ड की मात्रा तय करने के लिए व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए था– अपीलार्थी एक दैनिक वेतनभोगी व्यक्ति है– धारा–186 भा0 दं0 स0 के अनुसार ऐसे अपराध के लिए तीन महीने तक के कारावास या 500/–रू0 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है– कार्य के दौरान एक लोक सेवक को बाधा कर धारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार असाधारन रूप से अधिक और घारा–107 दण्ड प्रक्रिया संहिता अध्याय–VIII के अनुसार बाउण्ड की राशि मो0 5,00,000/–रू0 ज्यादा है धारा–117(बी0) दण्ड प्रक्रिया संहिता के रूप रेखा के भीतर भी अधिक है।

मामले के तथ्यों–तथ्यपर, अपीलार्थी को राशि घटाकर मो0 5,000/–रू0 जमा करना है– दण्ड संहिता 1860– धारा 186

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अध्याय–VIII धाराएं 106–124 में व्यक्त– केवल प्रकृति में निवारक है और सजा के लिए वाहन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अध्याय–VIII बाउण्ड प्रस्तुत करना/बाउण्ड निष्पादन करना– न्यायालय की शक्ति की चर्चा की गई है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 466 न्यायालय की शक्ति की चर्चा की गई है।

अपील आंशिक स्वीकार कर न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया–

1.1 अपीलार्थी के विरूद्ध अध्याय–VIII दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई । यह अध्याय अनिवार्य रूप से शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए किसी विशेष व्यक्ति से सुरक्षा लेने के लिए है। इस अध्याय–VIII के प्रावधान है:

उनके दायरे में निवारक, और उनका उद्देश्य ऐसे उपायों का प्रावधान करना है जो सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या शांति के उल्लंघन को रोकेंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय–VIII धारा–106 से लेकर धारा 124 तक है। धारा 106 समाज को उन लोगों से सुरक्षित करने का प्रावधान करती है जो अपराध करने के कारण जनता के लिए खतरा हैं अर्थात यह दोषी ठहराए गए अपराधियों पर लागू होती है। इसके अलावा, धारा 107 से 110 धारा 106 में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए हैं। इनमें से धारा 107 आम तौर पर शांति बनाए रखने के लिएउ सुरक्षा लेने के लिए है, धारा 108 राजद्रोह के मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा के लिए है, धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा के लिए है, और धारा 110 आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा के लिए है। घारा 111 से 124 इन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। प्रक्रिया जब एक बाउण्ड जब्त किया जाता है, अनिवार्य रूप से धारा 446 भा0 दं0 स0 में प्रदान किया जाता है। (कंडिका–6,6.1) (863–ए–ई)

1.2 दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा –107 का दायरा और प्रकृति निवारक है और दण्डात्मक नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति भंग न हो और सार्वजनिक शांति किसी गलत और अवैध कार्य द्वारा अशांति न हो। कारवाई प्रकृति में निवारक होने के कारण किसी भी स्पष्ट कार्य पर आधारित नहीं है, लेकिन है– इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता के हितों की सेवा के लिए संभावित खतरे को रोकना हैं यह प्रावधान व्यवस्थित समाज की सहायता के लिए है और शांति और सार्वजनिक शांति को नष्ट करने वाले किसी भी आचरण को रोकने का प्रयास करता है। यह प्रावधान दण्डाधिकारी को किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत करता है यदि सूचना पर, वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति के या ता शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना हे या करने की संभावना है।

कोई भी गलत कार्य जो संभवतः समान परिणाम दे सकता है। संहिता के अध्याय VIII के प्रावधान केवल

प्रकृति में निवारक हैं और सजा के लिए एक वाहन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संहिता के अध्याय VIII के तहत सुरक्षा प्रदान करने और/या बाउण्ड को निष्पादित करने का उद्देश्य राज्य के खजाने को बढाना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखने के लिए शांति के किसी भी संभावित उल्लंघन से बचना है। धारा 117 के प्रावधान (बी) के तहत यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि–

बाउण्ड की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और अत्यधित नहीं होगी। दण्डाधिकारी को धारा 117 के तहत सुरक्षा का आदेश देते समय व्यक्ति की स्थिति और स्थिति को ध्यान में रखना होता है। –बाउण्ड की मात्रा तय करना, और प्रावधानों के उद्देश्य को निवारक से दंडात्मक में नहीं बदल सकता है,

भारी मात्रा में बाउण्ड लागू करना, जिसे कोई व्यक्ति भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। अत्यधिक और मनमानी की मांग बाउण्ड की राशि संहिता के अध्याय VIII की भावना को कमजोर करती है, जो अभी भी अस्वीकार्य है। (कंडिका–11,12) (868–जी–एच ; 869–ए–डी)।

1.3 आगे, धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता उपस्थिति या प्रस्तुत करने के लिए बाउण्ड की जब्ती की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।

प्रावधान न्यायालय को बाउण्ड से बंधे ऐसे व्यक्ति को जुर्माना देने के लिए या कारण दिखाने के लिए कहने का अधिकार देता है कि उसे जुर्माना क्यों नहीं देना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 की उप–धारा (3) न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता के किसी भी हिस्से को प्रेषित करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। उल्लिखित जुर्माना और ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद केवल आंशिक रूप से भुगतान को लागू करें। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति बाउण्ड राशि को जब्त करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहता है, तो न्यायालय प्रत्यक्ष संपूर्ण बाउण्ड की राशि का भुगतान या वसुली के लिए बाध्य नहीं है।

न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपराध की प्रकृति व्यक्ति की स्थिति ओर स्थिति के कारण और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या जब बाउण्ड की राशि अनुचित रूप से अत्यधिक हो तो बाउण्ड के कुछ हिस्से को भेज सकता हैं। मान लीजिए, बाउण्ड की शर्तों के उल्लंघन की कथित तिथि पर, उक्त चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूरा हो चुका था। भले ही प्रस्तुत बाउण्ड की सामान्यकृत शर्तों को ध्यान में रखा जाए, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह था कि उसने अधिकारियों को कार्य करने से बाधित किया था। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हुए और अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण करने के बाद उनके साथ अभद्र भाषा में झगड़ा किया। उसके कथित कृत्यों के लिए, उसे किसी भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण के लिए लागू कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती थी और उस पर भा0 दं0 स0 की धारा 186 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता था, जैसा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने

संकेत दिया है, लेकिन ऐसी सभी प्रक्रियाओं में, अपीलार्थी को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना था। अपीलार्थी के बचाव के अवसर के साथ नियमित कार्यवाही को अपनाए बिना, उसे सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने और धारा के तहत अपराध करने का दोषी मानते हुए धारा 186 भा0 दं0 स0 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भले ही यह माना जाए कि अतिक्रमण और अधिकारियों को बाधित करने के उसके कथित कार्यों के अलावा, अपीलार्थी के कार्यों से वास्तव में शांति भंग हुई, फिर भी सवाल यह रहेगा कि क्या वह –बाउण्ड में प्रबंधित पूरी राशि के साथ दंडित किया जाएगा। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा निष्पादित मुचलका रूपये का थां 5,00,000/–रू0 का था तथा अपीलार्थी दैनिक वेतनभोगी है।

अपीलार्थी कमाने वाले, अपने रोजमर्रा के भोजन के लिए दिन प्रतिदिन की आय पर निर्भर करता है। बाउण्ड की राशि की अनुपातिकता के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि भा0 दं0 स0 की धारा 186 के तहत अपराध के लिए भी, निर्धारित सजा तीन महीने तक की कैद या 500/–रू0 या दोनों। इस प्रकार देखा जाए तो रूपये की राशि 5,00,000/–रू0 यह अनुचित रूप से अत्यधिक है, क्योकि भा0 दं0 स0 के तहत् अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना केवल रू0 500/– है इसलिए, परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, कथित कृत्यों की प्रकृति और बाउण्ड की राशि, यह तथ्य कि जिस उद्देश्य के लिए बाउण्ड निष्पादित किया गया था, वह पहले ही प्राप्त हो चुका था, कि सार्वजनिक शांति के उल्लंघन का कोई आसन्न खतरा अपीलार्थी से नहीं था।

केवल धारा 107 भा0 द0 प्र0 संहिता के बाद में अपीलार्थी के दैनिक वेतन भोगी होने एवं इतने बड़े राशि मो0 5,00,000/–रू0 के व्यवस्था करने एक सरकारी सेवक को मात्र कार्य में बाधा डालने के आरोप में इस संहिता के अध्याय–VIII के प्रावधान के अनुसार जब्त किया जाना काफी अधिक है। धारा 117(बी) भा0 द0 प्र0 संहिता के अन्तर्गत भी मो0 5,00,000/–रू0 अधिक है।

वाद के स्थिति के आलोक में न्यायहित में इस अपील को स्वीकार किया जाता है और अपीलार्थी को मो0 5,000/–रू0 इस निर्णय के प्रति के प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर जमा करने का आदेश दिया जाता है।(कंडिका 13–18) (869–ई एच ; 870–ए एच ; 871–ए–बी)।

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : अपराधिक अपील संख्याI–2034/2022

अनुच्छेद 227 भारतीय संविधान के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वाद संख्यI–4882/2021 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.07.2022 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से..... भुवन राज, रघुनाथ पाठक, गौरव भट्ट, अनुभव मेहरोत्रा, सुश्री मंजू सविता, ...अधिवक्तागण।

उत्तरवादी की ओर से..... विश्व पाल सिंह,..... अधिवक्ता।

निर्णय घोषित

दिनेश महेश्वरी, ...न्यायमूर्ति

अनुमति स्वीकृत

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 के संदर्भ में अपीलार्थी के बाउण्ड जब्त करने संबंधी वाद में मुख्य रूप से आवश्यक विवरण उल्लेख करना उचित समझते हैं।

3. वर्तमान अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका संख्या–4882/2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2022 के विरूद्ध निर्देशित है।

अपीलार्थी द्वारा अनुमण्डलीय दण्डाधिकारी बुढाना में परिवाद वाद संख्या–2836/2021 अन्तर्गत धारा 122 द0 प्र0 स0 मो0 5,00,000/–रू0 के बाउण्ड जब्त किये जाने के धारा 107 द0 प्र0 सं0 शांति बनासे रखने संबंधित आदेश के विरूद्ध अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष सं0–1 मुजफ्फरनगर के न्यायालय में अपराधिक पुनरीक्षण सं0–145/2021 दाखिल किया था जिसे दिनांक 23.07.2021 के आदेश के द्वारा अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी बुढाना द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर खारिज कर दिया।

4. अपीलार्थी की ओर से या वाद निम्न बिन्दुओं पर लाया गया।

4.1 तीसरे पंचायत चुनाव में उप निरीक्षक भौरा कलां थाना– मुजफ्फरनगर ने दिनांक 11.01.2021 को अनुमण्डलीय दण्डाधिकारी बुढाना जिला–मुजफ्फरनगर के न्यायालय में अपीलार्थी सहित 26 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदन समर्पित किया था कि वे अपराध कारित करना चाहते हैं और चुनाव में सही अपराध होने कि संभावना है जिससे ग्राम शिकारपुर में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है इसलिए प्रार्थना की गई कि नामित व्यक्तियों को धारा 107/116 के तहत भारी बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट पर जाँच के दौरान, अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी ने अपीलार्थी को बाउण्ड प्रस्तुत करने की आदेश दिया। बांड और तदनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 116 (3) के संदर्भ मेंए अपीलार्थी ने रुपये की राशि में एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत किया। मो0 5,00,000/–रू0। इसके बाद, 30.03.2021 पर, अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 117 के संदर्भ में बाध्य किया गया था।

4.2 02.07.2021 पर, राजस्व निरीक्षक/लेखपाल द्वारा अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी को एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी ने खसरा नं. 1285/2 में सार्वजनिक तालाब की भूमि के 0.5310 हेक्टेयर में से 0.0187 हेक्टेयर पर अवैध निर्माण किया था। और यह कि उक्त अवैध निर्माण को रोक दिया गया था और उस संबंध में कार्यवाही तहसीलदार, बुढाना के न्यायालय में लंबित थी। यह आगे आरोप लगाया गया कि निर्देशों के बावजूद, अपीलार्थी ने 01.07.2021 की आधी रात को उक्त अवैध निर्माण पर लिंटर लगाया, और यह कि 02.07.2021 पर, जब अधिकारी निरीक्षण करने और जांच करने के लिए साइट पर पहुंचे, तो अपीलार्थी ने अभद्र भाषा का उपयोग करके उनके साथ झगड़ा किया और आधिकारिक काम में बाधा उत्पन्न की।

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत उसके द्वारा निष्पादित बाउण्ड की शर्तों का उल्लंघन किया था।

अपीलार्थी को अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए दो बार स्थगन की मांग की गई। हालाँकि, अपीलार्थी की ओर से न तो कोई जवाब/आपत्ति दायर की गई और न ही कोई उपस्थित हुआ उनकी ओर से 20.07.2021 पर। इसलिए, विद्वान अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी ने अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान देना और अपीलार्थी के खिलाफ की गई रिपोर्ट में, विद्वान अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी ने रुपये की राशि को ज़ब्त करने के लिए उसकी संतुष्टि दर्ज की। मो0 5,00,000/–रू अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत और नियमानुसार निर्देशित बाउण्ड का विवरणः

" उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि प्रतिवादी/अभियुक्त इस्तकार पुत्र सरवर, निवासी गाँव शिकारपुर, परगना शिकारपुर, तहसील बुढाना जिला मुजफ्फरनगर ने बाउण्ड आदेश का उल्लंघन/व्यवधान डाला है, जबकि बंधन से बंधे रहना। इसलिए यह राशि मो0 5,00,000/–रू के बाउण्ड राज्य सरकार के पक्ष में मुजफ्फरनगर जिले की बुढाना तहसील के शिकारपुर , परगना शिकारपुर गांव के निवासी सरवर के बेटे इस्तकार से जब्त कर लिया जाता है। और उपरोक्त अभियुक्त को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उसे रुपये की बाउण्ड राशि जमा करनी चाहिए। मो0 5,00,000/–रू एक सप्ताह के भीतर यानी 30.07.2021 तक। यदि उपरोक्त राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं की जाती है, तो उपरोक्त राशि की वसूली के लिए उपरोक्त उत्तरदाताओं के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आदेश की सत्यापित प्रति प्रभारी निरीक्षक, एस. एच. ओ. को भेजी जानी चाहिए। पुलिस थाना भौरा कलां और तहसीलदार, बुढाना, के लिए आवश्यक कार्रवाई। केस फाइल को रिकॉर्ड में भेजा जा सकता है। मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद।

4.4 विद्वान द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी, अपीलार्थी ने 2021 की संख्या 145 वाली उक्त पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी, जिस पर पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने दिनांक 08.09.2021 के आदेश द्वारा विचार किया और खारिज कर दिया। निश्चित रूप से, पुनरीक्षण न्यायालय ने शुरू में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को बाउण्ड को निष्पादित करने का आदेश दिया गया था ताकि पंचायत चुनाव 2021 के दौरान शांति बनाए रखी जा सके और बाउण्ड के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि अनुमेय ।

धारा 117 के तहत आदेश में इस तरह का उल्लेख नहीं था। हालांकि, पुनरीक्षण न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं था

शांति बनाए रखना, विशेष रूप से जब उन्होंने आधिकारिक कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न की थी, जो अन्य पहलुओं के अलावा, दंडनीय था भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध। इसलिए , पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़े, जबकि निम्नलिखित रूप में ध्यान दें:

कर्मचारियों और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोगए भारतीय दंड संहिता की धारा –186 के तहत एक दंडनीय अपराध है। दंड प्रकिया संहिता की धारा 120 के प्रावधान, उन परिस्थितियों को इंगित करें जिनमें बंधे हुए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को बांड की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें किसी भी अपराध का करना दंडनीय है–

कारावास या ऐसा करने का प्रयास या उकसाना

अधिनियम/प्रयास/उकसाने का कार्य ही पर्याप्त है। हालाँकि, आपराधिक कैंची संहिता के निर्धारित प्रावधान में इसे पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि संशोधनवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि लेखपाल की रिपोर्ट द्वारा दिखाया गया उल्लंघन का उल्लंघन नहीं है प्रतिबंध में लगाई गई शर्तें। हालाँकि, बाद की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं गया है , उपरोक्त खंड के तहत गाँव– 186. भारतीय दंड संहिता की धारा– 40 के साथ पढ़ा जाए तो यह कारावास से दंडनीय अपराध है। इसलिए, संशोधनवादी ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने का ऐसा आपराधिक कार्य किया है और जब सरकारी तंत्र ने इसका विरोध किया है, तो उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना और उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश करना और कार्यालय के काम में बाधा पैदा करना, जो पहले [2022]8 एस. सी. आर. में लगाई गई शर्तों के तहत धारा-117 का उल्लंघन है।

धारा-120 के अर्थ के भीतर और विवादित आदेश उसी के अनुसार पारित किया गया है। इसलिए, विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी है।

बनाए रखने योग्य। तदनुसार, संशोधन खारिज किए जाने योग्य है।

बिना किसी बल के होने के लिए "।

4.5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह देखते हुए कि इस अधिकार क्षेत्रका प्रयोग संयम से किया जाना था और वर्तमान मामले में पारित आदेशों में कोई अवैधता या भौतिक अनियमितता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने आगे अपीलार्थी को तीन दिनों के भीतर 23.07.2021 दिनांकित विवादित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। विवादित संक्षिप्त आदेश दिनांक 19.07. 2022 के पहले दो पैराग्राफ में, उच्च न्यायालय ने विषय–वस्तु से संबंधित पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान दिया और फिर, निम्नलिखित शब्दों में अपना निष्कर्ष बताने के लिए आगे बढ़ाः–

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से और केवल उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए ताकि अधीनस्थ अदालतों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखा जा सके। पुनरीक्षण अदालत द्वारा विवादित आदेश की पुष्टि की गई है। पुनरीक्षण अदालत और निचली अदालत द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया है। कोई अवैधता नहीं दिखाई देती है या आक्षेपित क्रम में भौतिक अनियमितता। यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जिसमें अनुच्छेद 227 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रयोग किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता को तीन महीने के भीतर 23.07.2021 दिनांकित विवादित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

इस याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

5. 26.09.2022 पर, इस मामले की प्रारंभिक जांच करते हुए, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जो केवल इस सवाल तक सीमित था कि क्यों याचिकाकर्ता द्वारा देय राशि.विचाराधीन बाउण्ड के तहत अपीलार्थी को कम नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने और उसके ज़ब्त करने से संबंधित मामले निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं। तथापि, प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत बाउण्ड के तहत देय उचित राशि और उसके द्वारा ज़ब्त की गई राशि उचित है या नहीं।

6. इस मामले में उत्पन्न होने वाले भौतिक बिंदुओं के निर्धारण के लिए, अनिवार्य रूप से रखने के लिए किसी विशेष व्यक्ति से सुरक्षा लेने के लिए शांति या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए। यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि इस अध्याय VIII के प्रावधान अपने दायरे में निवारक हैं और उनका उद्देश्य और उद्देश्य ऐसे उपायों का प्रावधान करना है जो सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या शांति के उल्लंघन को रोकेंगे।

6.1 दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय VIII धारा 106 से लेकर धारा 124 तक है। धारा 106 समाज को उन लोगों से सुरक्षित करने का प्रावधान करती है जो अपराध करने के कारण जनता के लिए खतरा हैं। दोषी ठहराए गए अपराधियों पर लागू होता है। इसके अलावा , धारा 107 से 110 धारा 106 में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए हैं। इनमें से धारा 107 आम तौर पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा लेने के लिए है। धारा 108 प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के लिए है।राजद्रोह के मामलेय धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा के लिए है । और धारा 110 आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार की सुरक्षा के लिए है। धारा 111 से 124 इन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। प्रक्रिया जब एक बाउण्ड जब्त किया जाता है । अनिवार्य रूप से धारा 446 भा0 दं0 स0 में प्रदान किया जाता है।

7. हाथ में प्रश्नों के लिए, हम उपयोगी रूप से धारा 107,111,116,117,120,122 (1) (बी) और 446 भा0 दं0 स0 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत कर सकते हैंः–

"107. अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाः–

(1) जब एक कार्यकारी अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी को जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति के शांति भंग करने या गड़बड़ी करने की संभावना है सार्वजनिक शांति या कोई गलत कार्य करना जो हो सकता है कार्यवाही करते हुए, वह, इसके बाद दिए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से कारण दिखाने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के विचार के अनुसार, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए, प्रतिभूतियों के साथ या बिना किसी मुचलके को निष्पादित करें।

(2) इस धारा के तहत कार्यवाही किसी भी कार्यकारी अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के समक्ष तब की जा सकती है जब कोई भी स्थान जहां शांति भंग या अशांति की आशंका [2022]8 एस. सी. आर. के भीतर है। उसकी स्थानीय अधिकारिता या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई व्यक्ति है जिसके शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने या ऐसी अधिकारिता से परे कोई गलत कार्य करने की संभावना है।

111. करने का आदेश दिया:– जब एक अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के तहत कार्य कर रहा है धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110, किसी भी व्यक्ति से इस तरह के तहत कारण दिखाने की अपेक्षा करना आवश्यक समझती है।धारा, वह लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें प्राप्त जानकारी का सार, निष्पादित किए जाने वाले बंधपत्र की राशि, वह अवधि जिसके लिए यह लागू होना है, और प्रतिभूति की संख्या, चरित्र और वर्ग (यदि कोई हो) निर्धारित किया जाएगा।

116. जानकारी की सच्चाई के बारे में पूछताछ करें – (1) जब धारा 111 के तहत किसी आदेश को अदालत में मौजूद किसी व्यक्ति को धारा 112 के तहत पढ़ा या समझाया गया हो, या जब कोई व्यक्ति अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के सामने पेश होता है या लाया जाता है। धारा 113 के तहत जारी समन या वारंट का निष्पादन, अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी की सच्चाई की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। जानकारी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, और ऐसा और सबूत लेना जो आवश्यक लगे।

(2) इस तरह की जांच की जाएगी, जितना हो सके।व्यवहार, समन मामलों में मुकदमा चलाने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए इसके बाद निर्धारित तरीके से।

(3) प्रारम्भ के बाद, और पूरा होने से पहले, उप-धारा (1) के तहत जांच, अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी, यदि वह समझता है कि रोकथाम के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं शांति का उल्लंघन या सार्वजनिक शांति में खलल डालना या कोई अपराध करना या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस व्यक्ति को निर्देश दे सकता है जिसके संबंध में धारा 111 के तहत आदेश दिया गया है कि वह शांति बनाए रखने के लिए या जाँच के समापन तक अच्छा व्यवहार बनाए रखना, और उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि इस तरह के बाउण्ड को निष्पादित नहीं किया जाता है या निष्पादन की चूक में, जब तक कि जाँच समाप्त नहीं हो जाती है:

(क) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही हो। धारा 108, धारा 109, या धारा 110 के तहत अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए एक बंधन निष्पादित करने का निर्देश दिया जाएगा;

(ख) ऐसे बंधपत्र की शर्तें, चाहे वह उसकी राशि के बारे में हों या प्रतिभूतियों के प्रावधान या संख्या के बारे में हों। उनके दायित्व की आर्थिक सीमा, धारा के तहत आदेश में निर्दिष्ट सीमा से अधिक कठिन नहीं होगी।

111.

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या इतना हताश और खतरनाक है कि सुरक्षा के बिना बड़े पैमाने पर उसके समुदाय के लिए खतरनाक होने को सामान्य प्रतिष्ठा के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है।

(5) जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति जांच के तहत मामले में एक साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें उसी या अलग-अलग पूछताछ में निपटा जा सकता है जैसा कि बस अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी सोचेंगे।

(6) इस धारा के तहत जांच शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। और यदि ऐसी जांच इस प्रकार पूरी नहीं होती है, तो इस अध्याय के तहत कार्यवाही, उक्त

अवधि की समाप्ति पर, तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से अन्यथा निर्देश नहीं देता हैः बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच लंबित रहने तक हिरासत में रखा गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही, जब तक कि पहले समाप्त नहीं की जाती है, ऐसी हिरासत की छह महीने की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

(7) जहां उप-धारा (6) के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई निर्देश दिया जाता हैए वहां सत्र न्यायाधीश, पीड़ित पक्ष द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो कि यह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या विकृत था।

117. सुरक्षा देने का आदेश दें– यदि, ऐसी जांच पर, यह साबित हो जाता है कि शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, जैसा भी मामला हो, कि जिस व्यक्ति के संबंध में जांच की जाती है, उसे [2022] 8 एस. सी. आर. के साथ एक बाउण्ड निष्पादित करना चाहिए।

प्रतिभू के बिना, अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के तदनुसार एक आदेश देगा :

बशर्ते कि–

(क) किसी भी व्यक्ति को इससे भिन्न प्रकृति की सुरक्षा देने का आदेश नहीं दिया जाएगा या उससे बड़ी राशि की, या धारा 111 के तहत दिए गए आदेश में निर्दिष्ट राशि से बड़ी या उससे अधिक अवधि के लिए ;

(ख) प्रत्येक बाउण्ड की राशि देय राशि के साथ तय की जाएगी। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अत्यधिक नहीं होगा;

(ग) जब वह व्यक्ति जिसके संबंध में जाँच की जाती है बनाया गया मुचलका नाबालिग है, मुचलका केवल उसके प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

120. बाउण्ड की सामग्री– ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधन उसे शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार करने के लिए बाध्य करेगा, जैसा भी मामला हो, और बाद के मामले में कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध को करना या करने का प्रयास करना या उसे उकसाना, जहां भी किया जाए, बाउण्ड का उल्लंघन है।

122. प्रतिभूति की चूक में कारावास–

(1)

(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी बाउण्ड को निष्पादित करने के बाद, उसके साथ या उसके बिना धारा 117 के तहत अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसरण में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, ऐसे अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी या उनके उत्तराधिकारी की संतुष्टि के लिए, बाउण्ड का उल्लंघन करने के लिए साबित होता हैए ऐसा अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी या उत्तराधिकारी-पद, ऐसे सबूत के आधार दर्ज करने के बाद, आदेश दे सकता है कि व्यक्ति को बाउण्ड की अवधि समाप्त होने तक

गिरफ्तार किया जाए और जेल में रखा जाए और ऐसा आदेश किसी अन्य सजा या ज़ब्त के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति कानून के अनुसार उत्तरदायी हो सकता है।

446. प्रक्रिया जब बाउण्ड जब्त कर लिया गया हो। – (1) जहाँ इस संहिता के तहत एक बाउण्ड उपस्थिति के लिए है, या इस्तकार के उत्पादन के लिए है।

न्यायालय के समक्ष संपत्ति और यह संतुष्टि के लिए सिद्ध किया जाता है उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय का, जिसे बाद में मामला हस्तांतरित किया गया है, कि बंधपत्र जब्त कर लिया गया है,

या जहाँ, इस संहिता के तहत किसी अन्य बाउण्ड के संबंध में, यह है जिस न्यायालय द्वारा बंधपत्र लिया गया था, या जिस न्यायालय को मामला बाद में हस्तांतरित किया गया है, या प्रथम श्रेणी के किसी अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित किया कि बंधपत्र जब्त कर लिया गया है।

न्यायालय ऐसे प्रमाण के आधार दर्ज करेगा, और इस तरह के बाउण्ड से बंधे किसी भी व्यक्ति को इसके जुर्माने का भुगतान करने या कारण दिखाने के लिए कहें कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण– उपस्थिति के लिए एक बाउण्ड में एक स्थिति, या संपत्ति के उत्पादन के लिए, न्यायालय के समक्ष इसका अर्थ लगाया जाएगा जिसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय के समक्षए जिसमें मामला बाद में हस्तांतरित किया जा सकेए संपत्ति पेश करने के लिए या जैसा भी मामला हो, पेश होने की शर्त शामिल है।

(2) यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय उसी की वसूली के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा जुर्माना इस संहिता के तहत उसके द्वारा लगाया गया जुर्माना थाः

बशर्ते कि जहां इस तरह के जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है और उपरोक्त तरीके से वसूल नहीं किया जा सकता हैए वह व्यक्ति इस तरह से बाध्य है जुर्माने की वसूली का आदेश देने वाले न्यायालय के आदेश से प्रतिभूति छह महीने तक की अवधि के लिए सिविल जेल में कारावास के लिए उत्तरदायी होगी।

(3) न्यायालय, ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करने के बाद, उल्लिखित दंड के किसी भी हिस्से को माफ कर सकता है और केवल आंशिक भुगतान को लागू कर सकता है।

(4) जहाँ बांड की प्रतिभूति बाउण्ड के ज़ब्त होने से पहले मर जाती है, वहाँ उसकी संपत्ति को सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

(5) जहां कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 106 या धारा 117 या धारा 360 के तहत सुरक्षा प्रदान की है, उसे ऐसे अपराध का दोषी ठहराया जाता है जिसका अपराध उल्लंघन होता है।

उसके बाउण्ड की शर्तें, या उसके बांड के बदले निष्पादित बांड की शर्तें धारा 448 के तहत, न्यायालय के फैसले की एक प्रमाणित प्रति जिसके द्वारा उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, इस धारा के तहत उसके जमानतदारों या जमानतदारों के खिलाफ कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यदि ऐसी प्रमाणित प्रति का उपयोग किया जाता है, तो न्यायालय

जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह मान लें कि ऐसा अपराध उसके द्वारा किया गया था।''

8. उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, विद्वान वकील अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी, जो एक दैनिक वेतनभोगी है, से वसूल की जाने वाली राशि असाधारण रूप से अधिक है और पूरी तरह से अनुचित है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि शांति बनाए रखने के लिए बाउण्ड आगामी पंचायत के लिए निष्पादित किया गया था चुनाव और इसके सफल समापन के बाद, इसे निरर्थक बना दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि भले ही कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रशासनिक अधिकारियों के पास निहित हों, लेकिन इसका उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है जैसे कि वर्तमान मामले में, जहां अपीलार्थी को रुपये की एक बड़ी राशि जमा करने का निर्देश जारी किया गया है। मो0 5,00,000/–रू0 तथ्यों की सराहना किए बिना बाउण्ड को जब्त करके और मामले की परिस्थितियाँ और केवल एक पूर्व पक्ष के आधार पर ।

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय और अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के विवादित आदेश कानून के अनुसार हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के तहत विधिवत नोटिस दिया गया था और अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर रखी गई समाग्री का अध्ययन किया है।

11. जैसा कि देखा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 का दायरा और प्रकृति निवारक है और दंडात्मक नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति भंग न हो और सार्वजनिक शांति किसी भी प्रकार से बाधित न हो। गलत या अवैध कार्य। निवारक प्रकृति की कार्रवाई किसी भी प्रत्यक्ष कार्य पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता के हितों की सेवा करने के लिए संभावित खतरे को रोकना है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान व्यवस्थित समाज की सहायता के लिए है और शांति और सार्वजनिक शांति को नष्ट करने वाले किसी भी आचरण को रोकने का प्रयास करता है। प्रावधान अधिकृत करता है कि अनुमण्दलीय दण्डाधिकारी किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए यदि सूचना पर, वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति के या तो शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना है या कोई गलत कार्य करने की संभावना है जो संभवतः समान परिणाम दे सकता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो संहिता के अध्याय VIII के प्रावधान केवल निवारक प्रकृति के हैं और इन्हें सजा के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा, संहिता के अध्याय VIII के तहत प्रतिभूति प्रदान करने और/या बाउण्ड को निष्पादित करने का उद्देश्य राज्य को बढ़ाना नहीं है। प्रतिभूति/बंधपत्र की मात्र; और भारी मात्र में प्रतिभूति/बंधपत्र लागू करके प्रावधानों के उद्देश्य को निवारक से दंडात्मक में नहीं बदल सकता है, जिसे कोई व्यक्ति भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है। प्रतिभूति/बंधपत्र की अत्यधिक और मनमाना राशि की मांग संहिता के अध्याय VIII की भावना को कमजोर करती है, जो अभी भी अस्वीकार्य है।

13. इसके अलावा, धारा 446 सी0 आर0 पी0 सी0 उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन के लिए बाउण्ड की जब्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है और संहिता के तहत किसी अन्य बाउण्ड के लिए भी। प्रावधान अधिकार देता है कि न्यायालय बाउण्ड से बंधे ऐसे व्यक्ति को जुर्माना देने के लिए या कारण दिखाने के लिए कहे कि उसे जुर्माना क्यों नहीं देना चाहिए। धारा 446 सी0 आर0 पी0 सी0 की उप-धारा (3) न्यायालय को प्रेषित करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। उल्लिखित जुर्माने का कोई भी हिस्सा और ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करने के बाद केवल आंशिक रूप से भुगतान को लागू करता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जब कोई व्यक्ति बांड राशि को जब्त करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहता है, तब भी न्यायालय पूरी बाउण्ड राशि के भुगतान या वसूली का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की स्थिति और स्थिति के कारण और मामले के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या जब बाउण्ड की राशि अनुचित रूप से अत्यधिक हो तो बाउण्ड के कुछ हिस्से को भेज सकता है।

14. मान लीजिए, बाउण्ड की शर्तों के उल्लंघन की कथित तारीख को उक्त चुनाव प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। भले ही प्रस्तुत बाउण्ड की सामान्यीकृत शर्तों को ध्यान में रखा जाता है, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप थे कि उसने अधिकारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बाधित किया और [2022] 8 एस. सी. आर. अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण करने के बाद उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना। अपने कथित कृत्यों के लिए, वह हो सकता था किसी भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण के लिए लागू कानून के तहत कार्रवाई की गई और उन पर आई. पी. सी. की धारा 186 के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता था, जैसा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने संकेत दिया है, लेकिन ऐसी सभी प्रक्रियाओं में, अपीलार्थी को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना था। अपीलार्थी के बचाव के अवसर के साथ नियमित कार्यवाही को अपनाए बिना, उसे सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने और अपराध करने का दोषी मानते हुए आई. पी. सी. की धारा 186 को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. भले ही यह माना जाए कि अतिक्रमण और अधिकारियों को बाधित करने के उसके कथित कार्यों के अलावा, अपीलार्थी की कार्रवाई रु. की राशि थी। 5,00,000 /-. अपीलार्थी एक दैनिक वेतनभोगी है, वह अपने रोजमर्रा के भोजन के लिए रोज़मर्रा की आय पर निर्भर रहता है। बाउण्ड की राशि की आनुपातिकता के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 186 के तहत अपराध के लिए भी, निर्धारित सजा है . तीन महीने तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ। 500/- या दोनों। इस प्रकार देखा जाए तो रुपये की राशि। 5,00,000/- यह अनुचित रूप से अत्यधिक है, क्योंकि आईण् पीण् सीण् के तहत अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना केवल रु। 500 / - .

16. इसलिए, परिस्थितियों की संमग्रता को देखते हुए; कथित कार्यों की प्रकृति और बाउण्ड की राशि; यह तथ्य कि जिस उद्देश्य के लिए बाउण्ड निष्पादित किया गया था, वह पहले ही प्राप्त हो चुका था; कि सार्वजनिक शांति के उल्लंघन का कोई आसन्न खतरा नहीं था। अपीलार्थी; और यह

तथ्य कि अपीलार्थी एक दैनिक वेतनभोगी है और उसके पास बाउण्ड राशि की व्यवस्था करने के लिए उचित साधन नहीं होंगे, हमारा विचार है कि रु। 5,00,000 /-, कर्तव्य के दौरान एक लोक सेवक को बाधित करने के आधार पर, वह भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत, असाधारण रूप से उच्च और धारा 107 के कारण से परे है साथ ही संहिता का अध्याय VIII भी। हम यह भी पाते हैं कि मामले के तथ्यों की परवाह किए बिना, सीआरपीसी की धारा 117 के प्रावधान (बी) की रूपरेखा के भीतर भी रुपये की बाउण्ड राशि अत्यधिक है।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और साथ में जुर्माना माफ करने का विवेक न्यायालय में निहित है, वर्तमान अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि अपीलकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली राशि रुपये की नाममात्र राशि तक कम हो जाती है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की ख़ासियत के कारण 5,000/- (पांच हजार रुपये)।

18. इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राशि जमा करायी जाये अपीलकर्ता को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पाण्डेय